अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

GRANT No. 27 - MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	21355,89,00		21355,90,00	13344,65,53	-8011,24,47
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7282,12,98
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			581,01,00	325,86,06	-255,14,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					230,37,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	152574.00	155913.00	139867.32	-16045.68
पु.	R.	-3339.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	178713.00		500.00	..	-500.00
पु.	R.	-178213.00				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"					
उद्योग	Industries					
मू.	O.	1744302.00				
पू.	S.	1.00		1190964.02	1134598.21	-56365.81
पु.	R.	-553338.98				

(I) ₹298440.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹298440.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen heads under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग – इलेक्ट्रॉनिकी" –

(A) Major Head "2552" - "Telecommunication and Electronics Industries - Electronics" -

(क) "इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कार्यक्रम" – ₹7000.00 लाख;

(a) "Electronic Governance Programme" - ₹7000.00 lakhs;

(ख) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹2400.00 लाख;

(b) "National Knowledge Network Programme" - ₹2400.00 lakhs;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन" – ₹7500.00 लाख;

(c) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹7500.00 lakhs;

(घ) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹1300.00 लाख;

(d) "Promotion of IT and ITeS Industries" - ₹1300.00 lakhs;

(ङ.) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास" – ₹11000.00 लाख;

(e) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - ₹11000.00 lakhs;

(च) "साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)" – ₹7566.00 लाख;

(छ) "भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹69030.00 लाख;

(ज) "क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना" – ₹5400.00 लाख;

(झ) "उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)" – ₹62000.00 लाख; और

(ञ) "इंडिया एआई मिशन" – ₹5517.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में करने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(i) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹1000.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ii) "साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)" – ₹6100.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने, साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के मूर्त रूप न लेने और साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण।

(iii) "इंडिया एआई मिशन" – ₹4580.00 लाख पीएफएमएस में योजना के मानचित्रण में देरी

(f) "Cyber Security Projects (NCCC & OTHERS)" - ₹7566.00 lakhs;

(g) "Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India" - ₹69030.00 lakhs;

(h) "Capacity Building and Skill Development Scheme" - ₹5400.00 lakhs;

(i) "Production Linked Incentive Scheme (PLI)" - ₹62000.00 lakhs; and

(j) "IndiaAI Mission" - ₹5517.00 lakhs.

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Promotion of IT and ITeS Industries" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(ii) "Cyber Security Projects (NCCC and Others)" - ₹6100.00 lakhs - due to non-receipt of proposals, non-materialization of cyber security projects and delay in implementation of cyber security projects.

(iii) "IndiaAI Mission" - ₹4580.00 lakhs - due to non-execution of the projects

होने की वजह से परियोजनाएं कार्यान्वित न हाने के कारण।

owing to delay in mapping of the scheme in PFMS.

(iv) "भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹57300.00 लाख; और

(iv) "Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Ecosystem in India" - ₹57300.00 lakhs; and

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹46250.00 लाख।

(i) "Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Ecosystem in India" - ₹46250.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्ताव/दावे प्राप्त होने तथा अनुमोदित आवेदकों से दावे/आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की वजह से प्रोत्साहन राशि का वितरण न होने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to receipt of less proposals/claims and non-disbursement of incentives owing to non-receipt of claims/required documents from the approved applicants.

(ii) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹800.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ii) "Promotion of IT and ITeS Industries" - ₹800.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(iii) "इंडिया एआई मिशन" – ₹3697.00 लाख पीएफएमएस में योजना के मानचित्रण में देरी की वजह से परियोजनाएं कार्यान्वित न होने के कारण।

(iii) "IndiaAI Mission" - ₹3697.00 lakhs - due to non-execution of the projects owing to delay in mapping of the scheme in PFMS.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)" के अंतर्गत ₹14629.68 लाख की बचत (₹139994.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ईमेल प्लेटफ़ॉर्म के माइग्रेशन की परियोजना के संबंध में साइबर सुरक्षा ऑडिट में देरी, एस एंड टी पदों की भर्ती प्रक्रिया में देरी, कार्यालय व्यय और अन्य स्थापना संबंधी व्यय कम होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Attached Offices - National Informatics Centre (NIC)" - saving of ₹14629.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹139994.00 lakhs) was due to delay in cyber security audit in respect of project of migration of email platform, delay in recruitment process of S&T posts, less office expenses and other establishment related expenses.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः –

(III) Under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronics Industries" - savings occurred under the following heads:-

(का) "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" –

(क) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹3968.95 लाख की बचत (₹9900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रोत्साहन राशियों के वितरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने, नई परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य)" – ₹36772.71 लाख की बचत (₹57234.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया की वजह से एक परियोजना के निष्पादन में देरी होने, साइबर सुरक्षा परियोजनाओं का मूर्त रूप न लेने तथा साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होने की वजह से जीआईए निधियों जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम" – ₹453914.03 लाख की बचत (₹517720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औद्योगिक इकाइयों से प्रस्तावों/दावों की देरी से प्राप्ति/प्राप्त न होने और अनुमोदित आवेदकों से दावों/आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति न होने की वजह से प्रोत्साहनों का वितरण न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "इंडिया एआई मिशन" – ₹39456.89 लाख की बचत (₹41381.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीएफएमएस में योजना की मैपिंग में देरी, योजना की आधारभूत संरचनाओं के पूरा न होने और प्रक्रियात्मक देरी के कारण कई गतिविधियों के पूरा न होने के कारण हुई।

(खा) "विनियमन और प्रमाणन – मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹2611.06 लाख की बचत

(A) "Digital India Programme" -

(a) "Promotion of IT and ITeS Industries" - saving of ₹3968.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9900.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for disbursement of incentives, non-finalization of new projects and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Cyber Security Projects (NCCC & OTHERS)" - saving of ₹36772.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57234.00 lakhs) was due to delay in execution of one project owing to tendering process, non-materialization of cyber security projects and non-release of GIA funds owing to delay in implementation of cyber security projects.

(c) "Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Ecosystem in India" - saving of ₹453914.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹517720.00 lakhs) was due to late receipt/non-receipt of proposals/claims from the industrial units and non-disbursement of incentives owing to non-receipt of claims/required documents from the approved applicants.

(d) "IndiaAI Mission"- saving of ₹39456.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41381.00 lakhs) was due to non-execution of the projects owing to delay in mapping of the scheme in PFMS, non-completion of foundational structures of the scheme and non-completion of several activities owing to procedural delay.

(B) "Regulation and Certification - Standardisation, Testing and Quality Certification

(₹13750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता, कम एलटीसी दावों की प्राप्ति, भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों के ज्वाईनिंग में देरी, नए भर्ती हुए कर्मचारियों के इस्तीफे, कम चिकित्सा/एलटीसी दावों की प्राप्ति और एसटीक्यूसी प्रयोगशालाओं और केंद्रों द्वारा कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के कारण हुई ।

(गा) "स्वायत्त एवं अन्य निकायों को सहायता" –

(क) "इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र (सी–मेट)" – ₹3677.65 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परिचालन व्यय, परियोजनाओं का मूर्त रूप न लेने तथा निविदा प्रक्रिया में देरी की वजह से मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ख) "सेमी–कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)" – ₹12176.79 लाख की बचत (₹54000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परिचालन व्यय, पंजाब पावर कॉरपोरेशन से सब्सिडी प्राप्त होने की वजह से बिजली बिलों में कमी, कच्चे माल और उपभोग्य वस्तुओं की कम निकासी, उच्च–स्तरीय आयातित उपकरणों, पुर्जों, कच्चे माल, रसायनों, गैसों आदि की डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग अवधि में देरी के कारण निर्धारित कार्य/प्रतिबद्धताओं का पूरा न होना और एस एंड टी और गैर–एस एंड टी श्रेणियों के तहत भर्ती में देरी होने के कारण हुई।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)" – ₹3828.07 लाख की बचत (₹51460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ड.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(STQC)" -saving of ₹2611.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13750.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards office expenses, receipt of less LTC claims, delay in recruitment process and joining of candidates, resignation of newly recruited manpower, receipt of less medical/LTC claims and conduction of less training programmes by STQC Labs and Centres.

(C) "Assistance to Autonomous and Other Bodies" -

(a) "Centre for Materials for Electronic Technology (C-MET)" - saving of ₹3677.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was due to less operational expenses, non-materialization of projects and less procurement of machineries and equipment owing to delay in tendering process.

(b) "Semi-Conductor Laboratory (SCL)" - saving of ₹12176.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54000.00 lakhs) was due to less operational expenses, reduction in power bills owing to receipt of subsidy from Punjab Power Corporation, reduced outflow on raw material and consumable items, non-completion of scheduled work/commitments owing to delay in the delivery, installation and commissioning period for high-end imported equipment, spares, raw materials, chemicals, gases etc. and delay in recruitment under S&T and non-S&T categories.

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Production Linked Incentive Scheme (PLI)" - saving of ₹3828.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51460.00 lakhs); and

(E) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)" – ₹3251.37 लाख की बचत (₹41540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं।

(a) "Production Linked Incentive Scheme (PLI)" - saving of ₹3251.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41540.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रस्ताव/दावे प्राप्त न होने और आवेदक कंपनियों से दावे/आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals/claims and non-receipt of claims/required documents from the applicant companies.

(ख) "इलेक्ट्रानिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एवं कलस्टर विनिर्माण)" – ₹500.09 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएसआईपीएस और एसपीईसीएस कार्यक्रमों के तहत दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(b) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Cluster Manufacturing)" - saving of ₹500.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-receipt of claims under MSIPS and SPECS programmes.

(ग) "साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य)" – ₹4362.50 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के मूर्त रूप न लेने तथा कार्यान्वयन में देरी के कारण हुई।

(c) "Cyber Security Projects (NCCC & Others)" - saving of ₹4362.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals, non-materialisation and delay in implementation of cyber security projects.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹451.81 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत है।

(IV) Under one head saving of ₹451.81 lakhs occurred constituting 10 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹27399.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹27399.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronics Industries" - under the following major heads:-

(का) "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम – राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹23550.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹23548.09 लाख था।

(A) "Digital India Programme - National Knowledge Network Programme" - ₹23550.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹23548.09 lakhs.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–

(B) "Special Component Plan for Scheduled

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹2000.00 लाख।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹1849.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" – ₹1923.00 लाख का अधिक व्यय (₹12580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित बिलों के निपटान, ई–संसाधनों/डिजिटल लाइब्रेरी, विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए पेशेवरों/एजेंसियों को भुगतान, बिजली और पानी के शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन में लघु सिविल और इलेक्ट्रॉनिक कार्यों, अधिक दावों की प्राप्ति और अधिक दौरों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग" –

(क) "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" –

(i) "इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कार्यक्रम" – ₹9049.57 लाख का अधिक व्यय (₹48108.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और योजना के तहत ई–साइन परियोजना के दावों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और क्लस्टर विनिर्माण)" –

Castes - National Knowledge Network Programme" - ₹2000.00 lakhs.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - National Knowledge Network Programme" - ₹1849.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Electronics and Information Technology" - excess of ₹1923.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12580.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills, e-resources/digital library, payment to professionals/agencies for conducting departmental examination, electricity and water charges, minor civil and electronic works in the Electronics Niketan Building, receipt of more claims and more tours undertaken.

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" -

(a) "Digital India Programme" -

(i) "Electronic Governance Programme" - excess of ₹9049.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48108.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards claims of e-Sign project under the scheme.

(ii) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Cluster Manufacturing)" -

₹1052.82 लाख का अधिक व्यय (₹56500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और ईएमसी 2.0 के तहत नई अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

excess of ₹1052.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards implementation of newly approved projects under EMC 2.0.

(iii) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास" – ₹13066.76 लाख का अधिक व्यय (₹86825.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और आईटी, इलेक्ट्रॉनिकी और सीसीबीटी योजना में अनुसंधान एवं विकास के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - excess of ₹13066.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹86825.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards ongoing projects under R&D in IT, Electronics and CCBT scheme.

(ख) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)" – ₹24712.27 लाख का अधिक व्यय (₹465000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और योजना के तहत आवेदनों/दावों के तकनीकी सत्यापन के लिए पेशेवरों/परामर्शदाताओं की भर्ती किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "Assistance to Industries/Companies - Production Linked Incentive Scheme (PLI)"- excess of ₹24712.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹465000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards hiring of professionals/consultant for technical verification of applications/claims under the scheme.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹400.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹400.00 lakhs occurred constituting 31 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4859"	Major Head "4859"				
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	18311.00	17584.00	16966.48	-617.52
पु.	R.	-727.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	39790.00	17480.00	15619.58	-1860.42
पु.	R.	-22310.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4859" – "इलेक्ट्रॉनिकी – अनुसंधान और विकास" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(I) Under Major Head "4859" - "Electronics - Research and Development" - savings occurred under the following heads:-

(का) "एसटीक्यूसी कार्यक्रम" – ₹823.09 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभिक अनुमानों की प्राप्ति में देरी/निधियों का उपयोग न करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "STQC Programme" - saving of ₹823.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to delay in receipt of Preliminary Estimates/non-utilization of funds by Central Public Works Department and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "एसटीक्यूसी और अन्य परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपकरण" – ₹521.43 लाख की बचत (₹17311.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरण

(B) "Machinery and Equipments for STQC and Other Projects" - saving of ₹521.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17311.00 lakhs) was due to

वितरण में देरी, अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) की विफलता और विदेशी विक्रेताओं से सोर्सिंग में शामिल खरीद प्रक्रिया के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “5475” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) “निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय – आर्थिक सेवाएं” – ₹1896.30 लाख की बचत (₹4920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में देरी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन में लैन का निष्पादन न किए जाने, मशीनरी और उपकरणों की डिलीवरी में देरी और जेम पोर्टल पर बुक किए गए आईसीटी उपकरण/फर्नीचर की डिलीवरी में देरी के कारण बिलों का भुगतान न करने के कारण हुई।

(खा) “मशीनरी और उपकरण – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र” – ₹22274.12 लाख की बचत (₹34870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईसीटी उपकरणों की खरीद न होने, एनआईसी केंद्रों से मशीनरी और उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, उपकरणों की आपूर्ति/स्थापना में देरी के कारण बिलों की प्राप्ति न होने, विक्रेता द्वारा एक जीईएम अनुबंध का निष्पादन न किए जाने और राज्यों और जिला केंद्रों में एनआईसी द्वारा भवन और संरचना के तहत कम व्यय के कारण हुई।

delay in equipment delivery, failure of Proof of Concept (POC) and procurement process involved in sourcing from foreign vendors.

(II) Under Major Head “5475” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Secretariat - Economic services” - saving of ₹1896.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4920.00 lakhs) was due to non-execution of LAN in Electronics Niketan building owing to delay in tendering process, delay in delivery of machinery and equipment, etc and non-payment of bills owing to delay in delivery of ICT equipment/furniture booked on GeM portal.

(B) “Machinery and Equipment - National Informatics Centre” - saving of ₹22274.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34870.00 lakhs) was due to non-procurement of ICT equipment, non-receipt of proposals for procurement of machinery and equipment from NIC centres, non-receipt of bills owing to delay in supply/installation of equipments, non-execution of one GeM contract by the vendor and less expenditure under Building and Structure by NIC across States and District centres.